"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 31] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 2 अगस्त 2013—श्रावण 11, शक 1935

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 18 जुलाई 2013

क्रमांक एफ 3-5/2011/1-7.—इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12-05-2011 द्वारा जिला दंतेवाड़ा के चिन्तलनार क्षेत्र में हुई नक्सलवादी एवं पुलिस मुठभेड़ व आगजनी की घटना की न्यायिक जांच के लिए माननीय श्री टी. पी. शर्मा, न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, बिलासपुर की अध्यक्षता में विशेष जांच आयोग का गठन किया गया है. आयोग को उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन माह के भीतर शासन को जांच रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन निर्धारित समयावधि में जांच कार्य पूर्ण न होने के कारण आयोग के कार्यकाल में विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 08-08-2011 द्वारा तीन माह, अधिसूचना दिनांक 18-11-2011 द्वारा छ: माह, अधिसूचना दिनांक 10-05-2012 द्वारा छ: माह, अधिसूचना दिनांक 12-11-2012 द्वारा तीन माह एवं पुन: अधिसूचना दिनांक 29-01-2013 द्वारा छ: माह की समयवृद्धि की गई है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.

2. चूंकि, जांच कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है, अत: राज्य शासन एतद्द्वारा आयोग के कार्यकाल में दिनांक 11-08-2013 से दिनांक 10-02-2014 तक 06 माह की और वृद्धि करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, अपर सचिव.

रायपुर, दिनांक 10 जुलाई 2013

क्रमांक 594/354/अव./2013/1-8/स्था.—श्री पी. डी. दोहरे, अवर सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को दिनांक 13-05-2013 से 17-05-2013 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 11, 12, 18 तथा 19-05-2013 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पी. डी. दोहरे, आगामी आदेश तक अवर सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री दोहरे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दोहरे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 10 जुलाई 2013

क्रमांक 596/418/अव./2013/1-8/स्था.—श्रीमती एमरेंसिया खेस्स, अवर सचिव, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग को दिनांक 20-05-2013 से 01-06-2013 तक 13 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 18, 19-05-2013 तथा 02-06-2013 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती एमरेंसिया खेस्स, आगामी आदेश तक अवर सचिव, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगी.

3. अवकाश अवधि में श्रीमती खेस्स को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती खेस्स अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

रायपुर, दिनांक 10 जुलाई 2013

क्रमांक 598/483/अव./2013/1-8/स्था.—श्री आर. सी. लेवे, अवर सचिव, खेल एवं युवा कल्याण विभाग को दिनांक 10-06-2013 से 14-06-2013 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 08, 09, 15 तथा 16-06-2013 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री आर. सी. लेवे, आगामी आदेश तक अवर सचिव, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री लेवे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री लेवे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 11 जुलाई 2013

क्रमांक 1515/860/अव./2013/1-8/स्था.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 329-330/238/अव./2013/1-8/स्था, दिनांक 27-04-2013 द्वारा श्री भगवान सिंह कुशवाहा, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 06-05-2013 से 14-05-2013 तक 09 दिवस का स्वीकृत अर्जित अवकाश एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 16 जुलाई 2013

क्रमांक 640/326/2013/1-8/स्था.—श्रीमती शांता खरे, स्टॉफ आफिसर, सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग को दिनांक 08-10-2012 से 19-10-2012 तक 12 दिवस एवं 20-05-2013 से 01-06-2013 तक 13 दिवस का अर्जित अवकाश (दिनांक 7, 20 एवं 21-10-2012 तथा 18, 19-05-2013 एवं 02-06-2013 के शासकीय अवकाश के लाभ सहित) स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती खरे, सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग के स्टॉफ ऑफिसर के पद पर पुनः पदस्थ होंगी.

3. अवकाश अवधि में श्रीमती खरे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती खरे अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

रायपुर, दिनांक 16 जुलाई 2013

क्रमांक 1571/551/अव./2013/1-8/स्था.—श्री सी. जे. खत्री, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग को दिनांक 27-06-2013 से 03-07-2013 तक 07 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री खत्री आगामी आदेश तक वित्त विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री खत्री को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री खत्री अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तीरथ प्रसाद लड़िया, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 22 जुलाई 2013

क्रमांक 6199/615/21-ब/छ.ग./2013.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 की धारा 14 के अनुसार विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय, दुर्ग (छ.ग.) के लिये अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत श्री आदित्य ताम्रकार को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक की अवधि जो भी पहले हो, के लिये परिवीक्षा पर विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगा. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी.

नियुक्त विशेष लोक अभियोजक को शुल्क आदि का भुगतान विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 7492/डी-2655/21-ब/छ.ग./2012 दिनांक 18-09-12 एवं 8910/3016/21-ब/छ.ग./2012 दिनांक 20-11-2012 के अनुरूप देय होगा.

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या-64-2014-न्याय प्रशासन-103-विशेष न्यायालय, 0703 केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जाति उपयोजना, 5171-विशेष न्यायालयों की स्थापना, 10 व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों के शुल्क के अंतर्गत विकलनीय होगा.

देयकों का भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 जुलाई 2013

क्रमांक 1212/1004/दो-गृह/भापुसे/2012.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री रामगोपाल गर्ग, भा.पु.से., पुलिस अधीक्षक, गरियाबंद, छ.ग. को दिनांक 06-07-2013 से 12-07-2013 तक (कुल 07 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 13-07-2013 एवं 14-07-2013 के विज्ञप्त शास. अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. श्री गर्ग, को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

3. अवकाश से लौटने पर श्री रामगोपाल गर्ग, भापुसे., पुलिस अधीक्षक, गरियाबंद (छ.ग.) के पद पर पदस्थ होंगे.

4. श्री रामगोपाल गर्ग, पुलिस अधीक्षक, गरियाबंद, छ.ग. के उक्त अवकाश अवधि में पुलिस अधीक्षक, गरियाबंद का प्रभार श्री के. सी. अग्रवाल, (भापुसे.) पुलिस अधीक्षक, रेल, रायपुर को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है.

5. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रामगोपाल गर्ग, पुलिस अधीक्षक, गरियाबंद, अवकाश पर नहीं जाते तो पद पर बने रहते.

रायपुर, दिनांक 8 जुलाई 2013

क्रमांक एफ 1/48/दो-गृह/भापुसे/2001.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 14-05-2013 द्वारा श्री गिरधारी, नायक, भा.पु.से. अतिरिक्त महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, अतिरिक्त महानिदेशक, नगरसेना छ.ग. को दिनांक 17-05-2013 से 14-06-2013 तक (कुल 29 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए दिनांक 15 एवं 16-06-2013 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की गई है.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये श्री नायक, भापुसे को उक्त अर्जित अवकाश के स्थान पर दिनांक 17-05-2013 से 05-06-2013 तक (20 दिन) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

3. अवकाश से लौटने पर श्री नायक, आगामी आदेश तक अतिरिक्त महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, छ.ग. तथा अतिरिक्त महानिदेशक, नगरसेना के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

4. अवकाश काल में श्री नायक, भापुसे. को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

5. श्री गिरधारी नायक, भापुसे. (1993) अतिरिक्त महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं छ.ग. तथा अतिरिक्त महानिदेशक, नगरसेना छ.ग. के उक्त अवधि में जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, छ.ग. का प्रभार श्री अरूण देव गौतम, पुलिस महानिरीक्षक, सी.आई.डी., पुलिस मुख्यालय रायपुर को तथा नगरसेना, छ.ग. का प्रभार श्री आर. सी. पटेल, भापुसे., महानिरीक्षक, नगर सेना को उनके वर्तमान कार्य के साथ-साथ सौंपा जाता है.

6. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गिरधारी नायक, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 9 जुलाई 2013

क्रमांक/1251/1367/दो-गृह/भापुसे/2012.—विभागीय आदेश दिनांक 22-12-2012 द्वारा श्री आर. के. विज, भा.पु.से., अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, छसबल, एसटीएफ, सीटीजेडब्ल्यू, नक्सल अभियान, पुलिस मुख्यालय, रायपुर को दिनांक 17-12-2012 से 31-12-2012 (15 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुये दिनांक 16-12-2012 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी गई है.

2. राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त अर्जित अवकाश दिनांक 17-12-2012 से 31-12-2012 (15 दिवस) को निरस्त करते हुये श्री आर. के. विज, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, छसबल, एसटीएफ. सीटीजेडब्ल्यू, नक्सल अभियान, पुलिस मुख्यालय, रायपुर को 19-12-2012 से 01-01-2013 तक (14 दिवस) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

3. श्री विज, भापुसे को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

4. अवकाश से लौटने पर श्री, आर. के. विज, भा.पु.से., अति. पुलिस महानिदेशक, छसबल, एसटीएफ. सीटीजेडब्ल्यू, नक्सल अभियान, पु. मु. रायपुर छ.ग. के पद पर पदस्थ होंगे.

5. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. के. विज, भापुसे., अति. पुलिस महानिदेशक, छसबल, एसटीएफ. सीटीजेडब्ल्यू, नक्सल अभियान, पु.मु. रायपुर, छ.ग. अवकाश पर नहीं जाते तो पद पर बने रहते.

रायपुर, दिनांक 10 जुलाई 2013

क्रमांक एफ 1/84/दो-गृह/भापुसे/2013.—राज्य शासन एतद्द्वारा डॉ. एम. एस. तोमर, भा.पु.से. पुलिस महानिरीक्षक, छसबल, पुलिस मुख्यालय रायपुर को दिनांक 05-04-2013 से 08-04-2013 एवं 18-05-2013 से 20-05-2013 तक (07 दिवस) का अर्जित अवकाश एवं दिनांक 09-04-2013 से 17-05-2013 तक (39 दिन) का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. डॉ. एम. एस. तोमर, भापुसे. को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

3. अवकाश से लौटने पर डॉ. एम. एस. तोमर, भापुसे., पुलिस महानिरीक्षक, छसबल पुलिस मुख्यालय, छ.ग. के पद पर पदस्थ होंगे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. एम. एस. तोमर, भापुसे. पुलिस महानिरीक्षक, छसबल, पुलिस मुख्यालय रायपुर, छ.ग. अवकाश पर नहीं जाते तो पद पर बने रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनील विजयवर्गीय, अवर सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 जुलाई 2013

क्रमांक एफ 11-3/2013/मबावि/50.—राज्य शासन एतद्द्वारा माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर द्वारा की गई अनुशंसा अनुसार श्री प्रवीण कुमार प्रधान, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बेमेतरा को किशोर न्याय बोर्ड बेमेतरा, जिला बेमेतरा के लिए एवं श्रीमती तेजस्वरी देवी देवांगन, ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, अम्बिकापुर, को किशोर न्याय बोर्ड, अम्बिकापुर सिविल जिला-सरगुजा के लिए अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक प्रधान न्यायाधीश (Principal Magistrate) नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, सचिव.

कृषि विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 जुलाई 2013

संशोधित अधिसूचना

क्रमांक/3148/एफ-8-68/एन.ए.आई.एस./2013/14-2.—खरीफ 2013 मौसम में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की अधिसूचना दिनांक 15-04-2013 को जारी की गई है, जिसके बिन्दु क्र. 7 में "अऋणी किसान और लिए गए ऋण की राशि से उच्च बीमा चाहने वाले ऋणी किसान के लिए बीमा करने की अंतिम तिथि 15-08-2013 होगी" प्रावधान करते हुए स्वीकृति हेतु विभाग के पत्र क्र. 1533 दिनांक 02-04-2013 द्वारा भारत सरकार को प्रेषित किया गया था. जिसके परिपेक्ष्य में भारत सरकार के पत्र क्र. 13011-02/2001-Credit-II दिनांक 15-07-2013 द्वारा प्रस्ताव पर असहमति व्यक्त किये जाने के फलस्वरूप विभाग की अधिसूचना दिनांक 15-04-2013 के बिन्दु क्र. 7 में अब निम्नानुसार प्रावधान किया जाता है :—

"अऋणी किसान और लिए गए ऋण की राशि से उच्च बीमा चाहने वाले ऋणी किसान के लिए बीमा करने की अंतिम तिथि 31-07-2013 होगी".

अधिसूचना की शेष बिन्दु पूर्ववत् रहेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 19 जून 2013

क्रमांक एफ 21-04/2013/नौ/17.—राज्य शासन, एतद्द्वारा प्रसव पूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) 1994, संशोधन अधिनियम, 2002 (2003 का क्रमांक 14) द्वारा मूल अधिनियम में अंतःस्थापित धारा 16क की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए अधिसूचना क्रमांक एफ 21-03/2003/नौ/55 दिनांक 11-05-2007 एवं अधिसूचना क्रमांक एफ 21-03/2003/नौ/55 दिनांक 18-04-2013 को अधिक्रमित करते हुए, निम्नानुसार राज्य पर्यवेक्षक मंडल का गठन करता है :—

1.	माननीय मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	—	अध्यक्ष (पदेन)
2.	प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	—	उपाध्यक्ष (पदेन)

3.	सचिव, महिला एवं बाल विकास	—	सदस्य (पदेन)
4.	सचिव, समाज कल्याण	—	सदस्य (पदेन)
5.	सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग	—	सदस्य (पदेन)
6.	संचालक स्वास्थ्य सेवायें	—	सदस्य (पदेन)
7.	श्रीमती लक्ष्मी बघेल, विधायक, बलौदा बाजार	—	सदस्य
8.	श्रीमती सुमित्रा मारकोले, विधायक, कांकेर	—	सदस्य
9.	श्रीमती रजनी त्रिपाठी, विधायक, भटगांव	—	सदस्य
10.	डॉ. प्रमोद शर्मा, विभागाध्यक्ष, समाज शास्त्र, पं. रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर	—	सदस्य
11.	डॉ. प्रीती शर्मा, प्राध्यापक, समाज शास्त्र, रायपुर	—	सदस्य
12.	श्रीमती शैलेंदरी परगनिया	—	अधिवक्ता रायपुर
13.	श्री संतोष पाण्डेय	—	शासकीय अधिवक्ता
14.	श्रीमती हेमलता चंद्राकर, रायपुर	—	सदस्य
15.	श्रीमती सुधा दर्मा, बिलासपुर	—	सदस्य
16.	डॉ. आभा सिंह (HOD एवं प्राध्यापक) स्त्री रोग विशेषज्ञ-मेडिकल कॉलेज, रायपुर	—	सदस्य
17.	डॉ. श्रीमती माया दुबे-दुबे नर्सिंग होम गोंडपारा, बिलासपुर	—	सदस्य
18.	डॉ. वीरेंद्र कुर्रे, सह-प्राध्यापक-मेडिकल कॉलेज, रायपुर	—	सदस्य
19.	डॉ. अशोक अग्रवाल, चिल्ड्रन अस्पताल मगरपारा, बिलासपुर	—	सदस्य
20.	डॉ. विष्णु दत्ता, प्राध्यापक-पं. ज. ला. ने. स्मृति चिकित्सालय, रायपुर	—	सदस्य
21.	डॉ. अजय सोमनानी-सोमनानी एक्स रे, सिम्स बिलासपुर के सामने	—	सदस्य
22.	संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	—	सदस्य सचिव (पदेन)

2. मंडल की बैठक चार माह में कम से कम एक बार आयोजित की जावेगी.
3. पदेन सदस्यों के अलावा अन्य सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष होगा.
4. मंडल में आवश्यकतानुसार सदस्य सहयोजित किये जा सकेंगे, परन्तु सहयोजित सदस्यों की संख्या मंडल के कुल सदस्यों की संख्या के एक तिहाई से अधिक नहीं होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एम. मिंज, उप-सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 जुलाई 2013

क्रमांक एफ 1-13/2013/16.—छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा महासमुंद के राजस्व जिले की सीमाओं के भीतर समाविष्ट स्थानीय क्षेत्र में क्षेत्राधिकार रखने वाले श्रम न्यायालय महासमुंद का गठन करती है तथा श्रम न्यायालय क्रमांक 02 रायपुर से उक्त जिला वापस लेती है.

No. F 1-13/2013/16.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 8 of the Chhattisgarh Industrial Relations Act, 1960 (No. 27 of 1960) the State Government hereby Constitutes Labours Court, Mahasamund having Jurisdiction in the local area comprised within the limits of Revenue District of Mahasamund and withdraws the same from territorial jurisdiction of Labour Court No. 2 Raipur.

रायपुर, दिनांक 23 जुलाई 2013

क्रमांक एफ 1-13/2013/16.—छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा बलौदाबाजार के राजस्व जिले की सीमाओं के भीतर समाविष्ट स्थानीय क्षेत्र में क्षेत्राधिकार रखने वाले श्रम न्यायालय बलौदाबाजार का गठन करती है तथा श्रम न्यायालय क्रमांक 02 रायपुर से उक्त जिला वापस लेती है.

No. F 1-13/2013/16.--In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 8 of the Chhattisgarh Industrial Relations Act, 1960 (No. 27 of 1960) the State Government hereby Constitutes Labours Court, Balodabazar having Jurisdiction in the local area comprised within the limits of Revenue District of Balodabazar and withdraws the same from territorial jurisdiction of Labour Court No. 2 Raipur.

रायपुर, दिनांक 23 जुलाई 2013

क्रमांक एफ 1-13/2013/16.—छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा कोरिया के राजस्व जिले की सीमाओं के भीतर समाविष्ट स्थानीय क्षेत्र में क्षेत्राधिकार रखने वाले श्रम न्यायालय मनेन्द्रगढ़ का गठन करती है तथा श्रम न्यायालय अंबिकापुर से उक्त जिला वापस लेती है.

No. F 1-13/2013/16.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 8 of the Chhattisgarh Industrial Relations Act, 1960 (No. 27 of 1960) the State Government hereby Constitutes Labours Court, Manendragarh having Jurisdiction in the local area comprised within the limits of Revenue District of Koriya and withdraws the same from territorial jurisdiction of Labour Court Ambikapur.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. आर. मालवीय, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

मुंगेली, दिनांक 4 जुलाई 2013

रा.प्र.क्र. 04/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मुंगेली	मुंगेली	गीधा प.ह.नं. 46	2.55	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ./स.) संभाग, मुंगेली.	मुंगेली बाईपास मार्ग लम्बाई 18 कि. मी. के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

मुंगेली, दिनांक 4 जुलाई 2013

रा.प्र.क्र. 05/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मुंगेली	मुंगेली	लिम्हा प.ह.नं. 46	3.80	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ./स.) संभाग, मुंगेली.	मुंगेली बाईपास मार्ग लम्बाई 18 कि. मी. के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

मुंगेली, दिनांक 4 जुलाई 2013

रा.प्र.क्र. 06/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मुंगेली	मुंगेली	खेढ़ा प.ह.नं. 46	5.84	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ./स.) संभाग, मुंगेली.	मुंगेली बाईपास मार्ग लम्बाई 18 कि. मी. के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

मुंगेली, दिनांक 4 जुलाई 2013

रा.प्र.क्र. 07/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मुंगेली	मुंगेली	मौहामढ़वा प.ह.नं. 47	5.53	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ./स.) संभाग, मुंगेली.	मुंगेली बाईपास मार्ग लम्बाई 18 कि. मी. के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

मुंगेली, दिनांक 4 जुलाई 2013

रा.प्र.क्र. 08/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मुंगेली	मुंगेली	खैरवार प.ह.नं. 47	10.28	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ./स.) संभाग, मुंगेली.	मुंगेली बाईपास मार्ग लम्बाई 18 कि. मी. के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

मुंगेली, दिनांक 4 जुलाई 2013

रा.प्र.क्र. 09/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मुंगेली	मुंगेली	रामगढ़ प.ह.नं. 30	0.80	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ./स.) संभाग, मुंगेली.	मुंगेली बाईपास मार्ग लम्बाई 18 कि. मी. के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

मुंगेली, दिनांक 4 जुलाई 2013

रा.प्र.क्र. 10/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मुंगेली	मुंगेली	रेहुटा प.ह.नं. 28	11.05	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ./स.) संभाग, मुंगेली.	मुंगेली बाईपास मार्ग लम्बाई 18 कि. मी. के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

मुंगेली, दिनांक 4 जुलाई 2013

रा.प्र.क्र. 11/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मुंगेली	मुंगेली	बुंदेली प.ह.नं. 48	0.42	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ./स.) संभाग, मुंगेली.	मुंगेली बाईपास मार्ग लम्बाई 18 कि. मी. के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

मुंगेली, दिनांक 4 जुलाई 2013

रा.प्र.क्र. 12/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मुंगेली	मुंगेली	बरबसपुर प.ह.नं. 48	3.06	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ./स.) संभाग, मुंगेली.	मुंगेली बाईपास मार्ग लम्बाई 18 कि. मी. के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि के नक्शे-(प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

मुंगेली, दिनांक 4 जुलाई 2013

रा.प्र.क्र. 13/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मुंगेली	मुंगेली	नेवासपुर प.ह.नं. 48	4.25	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. वि. (भ./स.) संभाग, मुंगेली.	मुंगेली बाईपास मार्ग के निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मुंगेली, दिनांक 4 जुलाई 2013

क्रमांक 19/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मुंगेली	मुंगेली	लिलवाकापा प.ह.नं. 28	0.46	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. वि. (भ./स.) संभाग, मुंगेली.	मुंगेली बाईपास मार्ग के निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मुंगेली, दिनांक 5 जुलाई 2013

रा.प्र.क्र. 01/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मुंगेली	मुंगेली	बछेरा प.ह.नं. 01	4.72	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ./स.) संभाग, मुंगेली.	मुंगेली बाईपास मार्ग लम्बाई 18 कि. मी. के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पथरिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

मुंगेली, दिनांक 5 जुलाई 2013

रा.प्र.क्र. 02/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मुंगेली	मुंगेली	जमकुही प.ह.नं. 06	2.62	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ./स.) संभाग, मुंगेली.	मुंगेली बाईपास मार्ग लम्बाई 18 कि. मी. के निर्माण कार्य हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), पथरिया के कार्यालय में किया जा सकता है.

मुंगेली, दिनांक 5 जुलाई 2013

रा.प्र.क्र. 14/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मुंगेली	मुंगेली	जेठुकापा प.ह.नं. 28	3.91	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. वि. (भ./स.) संभाग, मुंगेली.	मुंगेली बाईपास मार्ग के निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मुंगेली, दिनांक 5 जुलाई 2013

रा.प्र.क्र. 15/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मुंगेली	मुंगेली	दुलहीन बाय प.ह.नं. 28	4.03	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. वि (भ./स.) संभाग, मुंगेली.	मुंगेली बाईपास मार्ग के निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मुंगेली, दिनांक 5 जुलाई 2013

क्रमांक 16/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मुंगेली	मुंगेली	रामाकापा प.ह.नं. 28	2.94	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. वि. (भ./स.) संभाग, मुंगेली.	मुंगेली बाईपास मार्ग के निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मुंगेली, दिनांक 5 जुलाई 2013

क्रमांक 17/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मुंगेली	मुंगेली	करूपान प.ह.नं. 27	3.85	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. वि. (भ./स.) संभाग, मुंगेली.	मुंगेली बाईपास मार्ग के निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मुंगेली, दिनांक 5 जुलाई 2013

क्रमांक 18/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मुंगेली	मुंगेली	चोरहाबुंदेली प.ह.नं. 27	1.11	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. वि. (भ./स.) संभाग, मुंगेली.	मुंगेली बाईपास मार्ग के निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. सी. महावर, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

महासमुंद, दिनांक 9 जुलाई 2013

क्रमांक 481/क/अविअ/भू.अ./34 अ-82 वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-महासमुंद
- (ख) तहसील-सरायपाली
- (ग) नगर/ग्राम-दर्राभांठा, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.49 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1291/1	0.14
	1291/2	0.15
	1292	0.39
	1293/1	0.34
	1293/2	0.47
योग	5	1.49

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-छ.ग. राज्य विद्युत मण्डल 220 के. व्ही. उप केन्द्र निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, सरायपाली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. शंगीता, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 3 जुलाई 2013

क्रमांक/485/प्र.क्र. 5 अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-पाटन
- (ग) नगर/ग्राम-खर्रा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.74 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	132	0.29
	132	0.15
	132	0.16
	132	0.03
	243	0.22
	243	0.20
	243	0.58
	243	0.02
	417	0.05
	132	0.04
योग	10	1.74

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोखली डायवर्सन योजना के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पाटन, जिला दुर्ग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश चन्द्र मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.